आर0आर0एफ0 योजना के अंतर्गत कार्य अवधि, पारिश्रमिक, प्रोत्साहन/जुर्माना एवं पारिश्रमिक भुगतान के नियम

1**. कार्य की अवधि:-**

(1) कार्य की अवधि केवल 24 (चौबीस) माह होगा, और इसका विस्तार आपसी सहमति (MUTUAL CONSENT) से किया जा सकता है।

(2) आर0 आर0 एफ0 को सुरक्षा नियम स्वीकार होगा और IE रूल 1956 एवं इसमें समय-समय पर संशोधित नियम का पालन होगा और IE रूल 1956 एवं इलेक्ट्रीसिटि एक्ट-2003, बिहार इलेक्ट्रीसिटि सप्लाई कोड-2007 में निहित सुरक्षा नियम एवं इसमें समय-समय पर हुई संशोधन का उल्लंघन नहीं होगा।

2. **पारिश्रमिक:-**

क्रमांक	**कार्य का विवरण**	**पारिश्रमिक दर**
1.	कंपनी के वेब मोबाइल आधारित एप्प पर स्पॉट बिलिंग और मीटर रीडिंग की स्पष्ट छवि के साथ ब्लूटूथ प्रिंटर से बिल निर्गत करना।	रू0 6.39 प्रति उपभोक्ता प्रति माह + लागू टैक्स। हर महीना उपभोक्ता को निर्गत कुल विपत्र का दरवाजा बंद (PL) पर 4 % से अधिक बिलिंग मान्य नहीं होगा और 4 % से अधिक (PL) के लिए भुगतान आर0आर0एफ0 को नहीं किया जाएगा।
2.	मीटर स्थापना/स्थानांतरण	समय-समय पर कंपनी द्वारा संशोधित निर्धारित दर के अनुसार
3.	राजस्व संग्रह	क्षेत्र के उपभोक्ता से संग्रहित राशि का 3%

3. **प्रोत्साहन/जुर्माना:-**

1.	**प्रति माह राजस्व संग्रह**	**एकत्रित राशि पर प्रोत्साहन**
	स्पॉट बिलिंग के लिए प्रोत्साहन 1.स्पष्ट छवि के साथ ओके (OK) रीडिंग पर 70% से ऊपर स्पॉट बिलिंग 2.स्पष्ट छवि के साथ ओके (OK) रीडिंग पर 80% से ऊपर स्पॉट बिलिंग 3.स्पष्ट छवि के साथ ओके (OK) रीडिंग पर 90% से ऊपर स्पॉट बिलिंग	1. अतिरिक्त रू0 1 प्रति उपभोक्ता स्पॉट बिल ओके (OK) रीडिंग होने पर। 2. अतिरिक्त रू0 1.5 प्रति उपभोक्ता स्पॉट बिल ओके (OK) रीडिंग होने पर। 3. अतिरिक्त रू0 2 प्रति उपभोक्ता स्पॉट बिल ओके (OK) रीडिंग होने पर।
2.	**प्रति माह राजस्व संग्रह**	**एकत्रित राशि पर प्रोत्साहन**
	राजस्व संग्रह के लिए प्रोत्साहन	
	1. प्रभावी उपभोक्ता के तुलना में भुगतेय उपभोक्ता की संख्या 50% से अधिक हो और कुल राशि कम्पनी के खाता में जमा किया गया हो।	संग्रहित और NBPDCL खाते में जमा राशि का 3.5%
	2. प्रभावी उपभोक्ता के तुलना में भुगतेय उपभोक्ता की संख्या 65% से अधिक हो और कुल राशि कम्पनी के खाता में जमा किया गया हो।	संग्रहित और NBPDCL खाते में जमा राशि का 4%
	3. प्रभावी उपभोक्ता के तुलना में भुगतेय उपभोक्ता की संख्या 80% से अधिक हो और कुल राशि कम्पनी के खाता में जमा किया गया हो।	संग्रहित और NBPDCL खाते में जमा राशि का 4.5%
	4. प्रभावी उपभोक्ता के तुलना में भुगतेय उपभोक्ता की संख्या 90% से अधिक हो और कुल राशि कम्पनी के खाता में जमा किया गया हो।	संग्रहित और NBPDCL खाते में जमा राशि का 5%
3.	**एकरारनामा की तारीख से 3 महीने के बाद दंड की राशि लागू होगी।**	
	आर0आर0एफ0 द्वारा मीटरों की प्राप्ति के तीन महीने बाद भी खराब मीटरों का बदलाव नहीं किए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।	उपभोक्ताओं का कुल विपत्रीकरण में मीटर दोष (MD) पर बिलिंग 5% से अधिक रहने पर रू0 3.00 प्रति उपभोक्ता। यह जुर्माना तभी लगेगा जब आर0आर0एफ0 को बिलिंग के दिन से 15 दिन पहले तक, प्रर्याप्त

		मात्रा में मीटर बदलने हेतु हस्तगत कराया गया हो।

4. **पारिश्रमिक भुगतान की प्रक्रिया:-**

आर0 आर0 एफ0 द्वारा संग्रहण एवं कम्पयूटराजाइज्ड बिलिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए आर0 आर0 एफ0 एवं बिलिंग एजेन्सी के भुगतान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शीघ्र करने हेतु निम्न प्रक्रिया का अनुपालन होगा:-

(1) संबंधित प्रमंडल के लेखा पदाधिकारी भुगतान पदाधिकारी होगें।

(2) राजस्व पदाधिकारी/सहायक विद्युत अभियंता (राजस्व) आर0 आर0 एफ0 वार स्पॉट बिलिंग की एवं एन0बीपी0डी0सी0एल0 के एकाउन्ट में जमा संग्रहित राशि विवरणी अगले माह के तीसरी तारीख को (चार प्रति) में निर्गत करेंगे और वैधानिक कटौती करते हुए 75% विपत्र की राशि का शीघ्र भुगतान हेतु 3 प्रति में लेखा पदाधिकारी को भेजेंगे। विपत्र विवरणी प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर आर0टी0जी0एस0/बैंक ट्रान्सफर के माध्यम से भुगतान करेंगे।

(3) शेष 25% का भुगतान प्रावधानुसार दंड की राशि की कटौती के बाद 15 दिनों के अन्दर किया जाएगा। राजस्व पदाधिकारी/सहायक विद्युत अभियंता आर0आर0एफ0 वार दंड की राशि एवं इसके स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विपत्र से कटौती हेतु अगले माह के 15 तारीख तक लेखा पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

(4) राजस्व पदाधिकारी/सहायक विद्युत अभियंता (राजस्व) स्पॉट बिलिंग संग्रहण एवं जमा राशि जाँचोपरान्त समर्पित लेखा पदाधिकारी विपत्र पारित करेंगे और शीघ्र संबंधित आर0 आर0 एफ0/बिलिंग एजेन्सी के खाता में भेजेगें।